# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 36/2017
GCMS NO. : 2017/00088

–:: प्रार्थीगण ::–

1. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल
2. कालूराम पुत्र मोहनलाल
3. भूराराम पुत्र मोहनलाल
4. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल
   जाति– माली, निवासी– जैतारण बैरा सिरोला।
5. रामाकिशन पुत्र लादूराम
6. चैनाराम पुत्र मांगीलाल
   जाति– गुर्जर, निवासी– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मदनलाल पुत्र मंगलाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र मंगलाराम
3. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
4. चम्पालाल पुत्र मंगलाराम के का0मु0
   4/1. कान्ता पुत्री चम्पालाल
5. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम के का0मु0
   5/1. नारायणलाल पुत्र भंवरलाल
   5/2. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
   5/3. गीता पुत्री भंवरलाल
   5/4. गंगा पुत्र भंवरलाल
   5/5. किन्या पुत्री भंवरलाल
   5/6. कोयली पुत्री भंवरलाल
   5/7. कचुड़ी पुत्री भंवरलाल
6. अन्नाराम पुत्र घीसाराम
7. पुखराज पुत्र घीसाराम
8. छोटाराम पुत्र घीसाराम
9. पिन्टू पुत्र सोहनलाल
10. मुन्नीदेवी पुत्र सोहनलाल
    जातियान– माली, निवासी– जैतारण बैरा सिरोला।
    तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
11. तहसीलदार, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** 　　　　**तारीख रजूः 15/03/2017**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**–:: निर्णय ::–** 　　　　**दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में सायलान व गैर सायलान संख्या एक से दस की संयुक्त खातेदारी एवं [illegible]न खसरा नम्बर 367 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम की [illegible]ई हुई है जिसकी जमाबन्दी व नक्शा की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सायलान संख्या एक से चार व गैर सायलान संख्या एक से दस सभी आपस में भाईबन्ध है, उक्त मुतनाजा भूमि में सायलान का 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हिस्सा व गैसायलान संख्या एक से पाँच का 1/3 हिस्सा व गैर सायलान संख्या- छः से दस का 1/3 हिस्सा आया हुआ है तथा वादी संख्या- पाँच व छः ने सायलान संख्या एक [illegible] चार से जमीन खारीद करने से पक्षकार बनाया गया है। सायलान व गैर साय[illegible] की उक्त मुतनाजा जमीन जैतारण से खेड़ामहराजपुरा जाने वाली डामर सड़क [illegible] तरफ आई हुई है, मौके पर सायलान व गैर सायलान अलग [illegible]पने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है, लेकिन उक्त जमीन सड़क [illegible] जमीन की कीमतें बढ़ने से मौके पर जमीन सायलान के पास कम होने से बंटवाड़ा करवाना चाहते है, मौके का नजरी नक्शा सायलान की और से वाद के साथ पेश किया जा रहा है, जिसे दावा का एक भाग माना जावें। सायलान व गैर सायलान सभी अपने बेरे सिरोला पर वक्त सेटलमेन्ट से परिवार सहित रहते है तथा उक्त खसरा नम्बर में गैर सायलान संख्या एक से पाँच पक्का मकान बनाना चाहते है गैर सायलान संख्या एक से पाँच ने उक्त मुतनाजा भूमि में पत्थर चुना, बजरी आदि सामग्री लाकर डाल दिये है, मौके पर बिना बंटवाड़ा किये ही नीवें खोदकर भर रहे है, जबकि उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये बिना एवं मुतनाजा भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन कराये बिना ही निर्माण किया जा रहा है जो गैर सायलान संख्या एक से पाँच को निर्माण कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैर सायलान संख्या एक से पाँच ने मौके पर शामलाती भूमि को पत्थर, चुना डालने पर सायलान ने गैर सायलान को कहा कि चुना पत्थर क्यो डाल रहे हो तब गैर सायलान संख्या एक से पाँच ने ऐलानिया कहा कि मौके पर पक्का मकान बनायेगे तब सायलान ने कहा कि जमीन का बिना बंटवाड़ा किये ही क्यो बना रहे हो तब गैर सायलान ने दिनांक 25-02-2017 को ऐलानिया कहा कि बिना बंटवाड़े किये ही मकान बनायेगे तुम जो कार्यवाही करना चाहते हो जो कार्यवाही करों हम रूकवाने वाले नहीं हैं। गैर सायलान जमीन का बंटवाड़े किये बिना ही शामलाती जमीन पर पक्का मकान बना लेगे तो मौके पर लड़ाई झगड़ा होगा। उक्त भूमि का बंटवाड़ा किये बिना सायलान अपने हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकते न ही उपजाउ बनाने के लिए खाद डाल सकते है और न बैक से ऋण ले सकते है, इसलिए उक्त मुतनाजा जमीन का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग अलग की जाना जरूरी है एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किया जाना जरूरी है। मुतनाजा भूमि के जमाबन्दी में भंवरलाल पुत्र मंगलाराम फोत होने से इनके कायम मुकाम को पक्षकार बनायागया है। चम्पालाल फौत होने से इनके कायम मुकाम को पक्षकार बनाया गया है, तेजाराम पुत्र घीसाराम लावल्द फौत होने से इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन होने से प्रथम दृष्टिया केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत है यदि गैर सायलान बिना बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा केवल मात्र लाठी के बल पर पक्का निर्माण कर लेगे तो सायलान को विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी जबकि शामलाती जमीन पर सभी खातेदार का प्रत्येक पर समान अधिकार रहता है,

सहायक [illegible]
उपखण्ड [illegible]
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:21 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरान्त भी गैर सायलान मौके पर बिना बंटवाड़ा किये ही नीचे खोदकर भर रहे है जबकि उक्त भूमि का बाईं मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये बिना एवं मुतनाजा भूमि को [illegible]वासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन कराये बिना ही निर्माण किया जा रहा है जो गैर [illegible] से पाँच को निर्माण कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त [illegible] निर्माण कर लेगें तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी [illegible] गैर सायलान किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेगे एवं मौके पर सायलान का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखुबी साबित है इसलिए गैर सायलान को विवादित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो जावे तब तक किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें एवं न ही सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बाधा उत्पन्न करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला रोका जावें अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में गैर सायलान स्वंय व इनके परिवार के सदस्य व नौकर, चाकर, आदि कोई किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, अड़चन पैदा नहीं करे और समस्त कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं उक्त मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा एवं मुतनाजा भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन कराये बिना किये गैर सायलान कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 5, 6, 8 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 2, 9, 10, 11, 5/2, 5/3, 5/7 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस्/सूचना तामिली के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

***1. प्रथम दृष्टया मामला*** :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि हैं के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में कानूनन बंटवाड़ा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार हैं। चुंकि अपने हक हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को सहखातेदारी भूमि की कानूनन बंटवाडे का अधिकार होता है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

***2. सुविधा का सतुंलन*** :- चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

***3. अपूर्णनीय क्षति*** :- चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:21 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारान द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि का हस्तान्तरण किया गया है तथा यह भी सम्भावना रहती है कि ऐसा आगे भी हो सकता है तथा यदि ऐसा होता है तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान् को ताफैसला वाद बैचान एवं हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:40:21 IST
Reason: SelfAttested

**–: आदेश :–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा संख्या 367 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही दोयम का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)